


10/01/25

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर (रजि०)
धौलपुर

आज पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त अभिभाषक उपस्थित। पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) मरैना की ओर से सम्बन्धित पटवारी हल्का सामौर एवं गिरदावर हल्का दिहौली उपस्थित हुए। सरकार की ओर से जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

जबाब की प्रति प्राप्त हुई




अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

कारिका हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख आइकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुई
	<p>अपीलान्ट द्वारा अपील में हल्का पटवारी द्वारा आयनी रजिस्ट्रार रिपोर्ट करना तथा प्रिंटिड प्रालतम में झूठी रिपोर्ट पेश करना तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मोना द्वारा दिनांक 18.11.2024 को अपीलान्ट के विरुद्ध बिना साक्ष्य का अवसर दिये कथित राटौही आदेश पारित करने का आग्रह लगाते हुए नायब तहसीलदार मोना निर्णय दिनांक 18.11.2024 को अनास्त करत हुए अपीलान्ट के पक्ष में नियन्त्रण चाहा है।</p> <p>इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट के परचातवर्ती अतिक्रमी होने/विवादित भूमि का सीमाज्ञान सम्बन्धी कार्यवाही की रिपोर्ट एवं जबाब अपील/स्त्रगन चाहा गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.01.2025 एवं 09.01.2025 द्वारा रिपोर्ट भेजी गई। जिसकी प्रति वकील अपीलान्ट को दी गई।</p> <p>नायब तहसीलदार द्वारा अपने जबाब में अतिक्रमी को पिछले सम्बत् 2080 में बंदखल करने एवं उसके परचात भी पुनः सम्बत् 2081 में सरसों बांकर परचातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सही निर्णय पारित करना बताया है। साथ ही दिनांक 06.11.2024 को राजस्य टोन द्वारा नौके पर पैनाईरा करना और अतिक्रमियों को उनकी खातेदारी भूमि चिन्हित कर अतिक्रमी को निर्णय से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना जाहिर किया है। साथ में दिनांक 06.11.2024 को सीमाकन व दिनांक 12.03.2024 को सम्बत् 2080 में फसल नष्ट करने का मौका पर्चा भी संलग्न किया है।</p> <p>उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उभयपक्षकारान द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत जबाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराया गया है।</p>	

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्त के विरुद्ध ग्राम मढ़ई तहसील राजाखंडा में खसरा नं० 272/242 रकबा 0.25 है० किस्म चारागाह भूमि पर सरसों की बुवाई करने के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाकर दिनांक 18.11.2024 को फसल नष्ट करने एवं सिविल कारावास से लडित किया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी खसरा नम्बर 272/242 पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी था यह खसरा नम्बर संलग्न मौका पर्चा दिनांक 12.03.2024 एवं 06.11.2024 में भी अंकित है। जिसे सम्वत् 2080 में खुर्द बुर्द किया था इसके बाबजूद सम्वत् 2081 में पुनः फसल सरसों बोकर खसरा नम्बर 272/242 रकबा 0.25 है० किस्म चारागाह पर अतिक्रमण किया है। भूमि किस्म चारागाह होने से अतिक्रमी गुट्टा राम के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना न्याय संगत होगा। जहाँ तक पिटेड प्रारूप में निर्णय लिखे जाने का आरोप है उससे प्रकरण की मैरिट प्रभावित नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्त खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 18.11.2024 बहाल रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मरैना को पालना हेतु भेजी जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(धीरेन्द्र सिंह)

अति० जिला कलक्टर

धौलपुर (राज०)

आदेश आज दिनांक 10.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)

अति० जिला कलक्टर

धौलपुर (राज०)